नव भारत
राष्ट्रहित का प्रहरी 1934 से

सीक्रेट मिशन में पकड़ा हनीट्रैप गिरोह

शराब कारोबारी को जाल में फंसाकर 1 करोड़ की डिमांड करने वाली गैंग का पर्दाफाश

- महिला मास्टरमाइंड समेत पांच गिरफ्तार
- पुलिसकर्मी की भूमिका भी है संदिग्ध

नव भारत न्यूज

इंदौर, 19 मई. शराब कारोबारी को हनीट्रैप में फंसाकर 1 करोड़ रुपए की उगाही करने वाले गिरोह का क्राइम ब्रांच ने पर्दाफाश किया है. सीक्रेट मिशन चलाकर पुलिस ने महिला मास्टरमाइंड समेत 5 आरोपियों को हिरासत में लिया है.

आरोपियों ने प्रॉपर्टी साझेदारी के नाम पर जाल बिछाया और मना करने पर अश्लील फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी थी. मामले में इंटेलिजेंस ब्रांच के हेड कॉन्स्टेबल की भूमिका भी सामने आने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है.

डीसीपी राजेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि बाणगंगा निवासी 45 वर्षीय कारोबारी हितेंद्र सिंह चौहान की शिकायत पर कार्रवाई की गई. आरोपी महिला अलका दीक्षित ने अपने साथियों के साथ मिलकर कारोबारी को हनीट्रैप में फंसाया और अश्लील फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 1 करोड़ रुपए की मांग की.

पुलिस जांच में सामने आया कि अलका ने चौहान की मुलाकात प्रॉपर्टी कारोबारी लाखन चौधरी से करवाई थी. लाखन ने साझेदारी के नाम पर दबाव बनाया और मना करने पर ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी. कुछ दिन पहले सुपर कॉरिडोर पर आरोपियों ने कारोबारी के साथ मारपीट की और गोली मारने की धमकी भी दी. मामले की शिकायत मिलने के बाद क्राइम ब्रांच ने सीक्रेट मिशन चलाया. 40 जवानों की 7 टीमें बनाकर द्वारकापुरी और पीथमपुर में एक साथ दबिश दी गई. कार्रवाई में अलका दीक्षित, उसका बेटा जयदीप, लाखन चौधरी, श्वेता विजय जैन और हेड कॉन्स्टेबल विनोद शर्मा को हिरासत में लिया गया. जांच में यह भी सामने आया कि इंटेलिजेंस ब्रांच का हेड कॉन्स्टेबल विनोद शर्मा आरोपियों के संपर्क में था और उसने ही ब्लैकमेलिंग की सलाह दी थी. पुलिस ने उसका मोबाइल और लैपटॉप जब्त कर लिया है. पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार अलका पर 17 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं और वह पहले शराब तस्करी, फिर ड्रग नेटवर्क से भी जुड़ चुकी है.

श्वेता जैन पहले भी हनीट्रैप में जा चुकी है जेल...

हनीट्रैप केस की आरोपी श्वेता विजय जैन का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड रहा है. वह साल 2019 के चर्चित हनीट्रैप मामले में जेल जा चुकी है. पुलिस के मुताबिक, श्वेता पहले भी नगर निगम के दिवंगत इंजीनियर हरभजन सिंह को भी उसने अपने जाल में फंसाया था. आरोप है कि श्वेता ने उनके निजी फोटो और वीडियो के जरिए उन्हें ब्लैकमेल किया था. इस मामले के सामने आने के बाद शहर में काफी हड़कंप मचा था. पुलिस को आशंका है कि श्वेता लंबे समय से संगठित तरीके से हनीट्रैप गिरोह चला रही है और अलग-अलग लोगों को निशाना बनाकर उगाही करती रही है.

तबादलों का दायरा बढ़ा सकती है सरकार

- कैबिनेट में आज पेश हो सकती है प्रदेश की नई तबादला नीति
- कैबिनेट मंत्रालय में सबेरे 11.00 बजे से होगी

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 19 मई. प्रदेश की बहुप्रतीक्षित तबादला नीति वर्ष 2026 बुधवार को कैबिनेट में पेश हो सकती है. सामान्य प्रशासन विभाग ने नई नीति का प्रारूप तैयार कर लिया है, जिसे कैबिनेट में मंजूरी मिल सकती है. मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश में शासकीय सेवकों के स्वैच्छिक और प्रशासनिक आधार पर तबादले हो सकेंगे. तबादलों पर लगे प्रतिबंध को एक माह के लिए हटाया जा सकता है. नई नीति में इस बार तबादलों का दायरा बढ़ाया जा सकता है.

कैबिनेट मंत्रालय में प्रात: 11.00 बजे से होगी, जिसमें अन्य विषयों के साथ ये महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी शामिल होगा. दरअसल पिछली कैबिनेट के दौरान ही मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने साफ संकेत दे दिए थे कि अगली कैबिनेट में तबादला नीति का प्रारूप पेश किया जाए. लिहाजा सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में पूरी तैयारी कर ली है.

मिले संकेतों के मुताबिक इस बार मंत्रियों के अनुरोध पर स्वैच्छिक और प्रशासनिक दोनों ही स्तर पर तबादलों की लिमिट में इजाफा किया जा सकता है. अब तक की नीति में शासकीय सेवकों की 200 तक की संख्या वाले विभागों में अधिकतम 20 फीसदी तक ही तबादले हो सकते थे, वहीं उसके बाद संख्या बल के हिसाब से बड़े विभागों को अतिरिक्त रियायत दी गई थी, जिसके लिए एक फार्मूला तय किया गया था. नई नीति में इस फार्मूला का दायरा बढ़ाया जा सकता है, जिससे कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाहने वाले शासकीय सेवकों को भी ज्यादा मौके मिले, वहीं यदि विभाग प्रशासनिक आधार पर तबादला करना चाहे तो उनके पास भी ज्यादा विकल्प उपलब्ध हो. पहले तबादलों की लिमिट कम होने से ज्यादा मौके नहीं मिल पाते थे. राज्य सरकार इस समय ज्यादा तबादलों का जोखिम उठा सकता है. ये इसलिए कि अभी विधानसभा चुनाव दूर है, लेकिन अगले वर्ष से सरकार तबादलों का जोखिम कम लेने लगेगी. ये इसलिए भी कि मंत्रियों पर तबादलों के दौरान लेन-देन के आरोप भी लगते हैं, वहीं मंत्रियों के बंगलों पर तबादला चाहने वालों की भीड़ जुटना शुरू हो जाती है.

नई तबादला नीति में ऐसे शासकीय सेवकों को पहले हटाया जाएगा, जिनको एक ही स्थान पर पदस्थ हुए तीन वर्ष से अधिक का समय बीत गया है. वहीं परस्पर तबादला चाहने वाले और ऐसे शासकीय सेवक पति-पत्नी जो कि अलग- अलग स्थानों पर पदस्थ हैं और वे किसी एक ही जिले में पदस्थ होना चाहते हैं, उनको भी तबादलों में प्राथमिकता मिलेगी. तबादलों में जिला संवर्ग के तबादलों का अधिकार प्रभारी मंत्री के पास होगा, प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से जिला कलेक्टर तबादलों की सूची जारी कर सकेंगे, वहीं राज्य संवर्ग के शासकीय सेवकों के तबादलों का अधिकार विभागीय मंत्री के पास होगा, भारसाधक अधिकारी विभाग के मंत्री के अनुमोदन के बाद तबादला सूची जारी कर सकेंगे.

डिप्टी सीएम के आवास का किया घेराव

एनएसयूआई पर पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल कर रोका

रीवा, 19 मई. एनएसयूआई ने नीट 2026 में कथित पेपर लीक और परीक्षा अनियमितताओं के विरोध में मंगलवार को रीवा में जोरदार प्रदर्शन किया. 44 डिग्री की भीषण गर्मी के बीच जिला अध्यक्ष पंकज उपाध्याय के नेतृत्व में कार्यकर्ता उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला के आवास का घेराव करने पहुंचे, जहां पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया.

प्रदर्शन में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं शामिल हुए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि लगातार हो रहे पेपर लीक से लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है, लेकिन सरकार दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने के बजाय मामले को दबाने में लगी है. पंकज उपाध्याय ने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में पेपर लीक आम घटना बन गई है, जिससे छात्रों का परीक्षा प्रणाली पर भरोसा टूट रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ पुलिस ने आतंकवादियों जैसा व्यवहार किया.

एनएसयूआई नेताओं ने चेतावनी दी कि जब तक जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई नहीं होती और केंद्रीय मंत्री नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा नहीं देते, तब तक आंदोलन जारी रहेगा. प्रदर्शन के दौरान क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात रहा.

अब राज्य मंत्री 25 हजार दे सकेंगे स्वेच्छानुदान

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल. प्रदेश के राज्य मंत्री भी अब किसी एक मामले में 25 हजार रुपए तक की स्वेच्छानुदान राशि दे सकेंगे. इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने मंगलवार को आदेश जारी कर दिए हैं. अब तक राज्य मंत्रियों को महज 16 हजार रुपए तक की राशि ही दिए जाने का अधिकार था. इस तरह अब 9 हजार रुपए तक की बढ़ोतरी हो गई है. यहां बता दें कि 11 मई को हुई कैबिनेट में इस संबंध में निर्णय लिया गया था. इस तरह कैबिनेट के निर्णय के लगभग एक सप्ताह बाद ही इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं. इस आदेश को 18 मई से प्रदेश में प्रभावी किया गया है. राज्य मंत्रियों की ओर से इस संबंध में लगातार मांग की जा रही थी. उनका तर्क था कि मौजूदा दौर में जिस तरह से जरुरतें बढ़ रही हैं और मंहगाई भी बढ़ रही है.

निर्माण कार्य समय सीमा में पूरे हों : सिलावट

भोपाल, 19 मई. तुलसीराम सिलावट ने जल संसाधन विभाग की निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी कार्य गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय सीमा में पूर्ण किए जाएं. उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिकारी नियमित निरीक्षण कर प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.

मंत्रालय में आयोजित समीक्षा बैठक में मंत्री सिलावट ने आगामी सिंहस्थ को ध्यान में रखते हुए उज्जैन में चल रहे कार्यों पर विशेष फोकस करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का लक्ष्य है कि श्रद्धालुओं को क्षिप्रा नदी के निर्मल जल में स्नान की सुविधा मिले और उनकी यात्रा सुगम हो.

बैठक में राजेश राजौरा सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे. मंत्री ने केन-बेतवा लिंक परियोजना, पार्वती-कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना और तापी मेगा रीचार्ज परियोजना की प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.

इसके अलावा कान्ह डक्ट परियोजना, सेवरखेड़ी-सिलारखेड़ी परियोजना, क्षिप्रा नदी घाट निर्माण और उज्जैन, इंदौर व देवास में निर्माणाधीन बैराजों की प्रगति की जानकारी ली गई. मंत्री ने भोपाल स्थित केरवा बांध के क्षतिग्रस्त वेस्ट वियर सुधार कार्य और बिजली लाइन शिफ्टिंग को भी समयसीमा में पूरा करने के निर्देश दिए. मंत्री सिलावट ने सीएम मॉनिटरिंग और मुख्यमंत्री घोषणाओं से जुड़े मामलों के त्वरित निराकरण के निर्देश देते हुए 15 दिनों में प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा.

52.60 लाख की वसूली पर हाईकोर्ट की रोक

जबलपुर. मप्र हाईकोर्ट से धान उपार्जन केंद्र मलघन क्रमांक-2, पन्ना के समिति प्रबंधक एवं सहायक समिति प्रबंधक कोबड़ी राहत मिली है. जस्टिस विवेक सिंह की एकलपीठ ने 52 लाख 60 हजार रुपए की वसूली पर रोक लगा दी है. एकलपीठ ने कहा कि बिना उचित सुनवाई और बिना यह बताइए कि इतनी बड़ी राशि का निर्धारण किस आधार पर किया गया, किसी कर्मचारी पर सीधे नागरिक दायित्व नहीं थोपा जा सकता. दरअसल यह मामला पन्ना निवासी सुरेश कुमार द्विवेदी एवं सुरेश साहू की ओर से दायर किया गया था. जिसकी ओर से अधिवक्ता आर्यन उरमलिया ने पक्ष रखा. उन्होंने बताया कि 18 मार्च 2026 को जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, पन्ना द्वारा याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी किया गया था.

एक नजर में

भाजपा कार्यालय में मंत्री कंषाना ने सुनीं समस्याएं

भोपाल. मध्यप्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री एदल सिंह कंषाना ने मंगलवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश भर से आए पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद किया. इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनकर त्वरित समाधान के निर्देश दिए. मंत्री कंषाना ने कहा कि सरकार आमजन और कार्यकर्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कई मामलों का मौके पर ही निराकरण कराया, जबकि जिन समस्याओं का तत्काल समाधान संभव नहीं था.

घाटों और पटाखा गोदामों की जांच के निर्देश

उमरिया. जिला कलेक्टर राखी सहाय ने जिले के सभी नाव संचालित घाटों और पटाखा गोदामों की नियमित जांच के निर्देश दिए हैं. जानकारी के अनुसार कलेक्टर सहाय ने सभी एसडीएम को निर्देशित किया है कि जिन घाटों पर नावों का संचालन होता है वहां नियमित निरीक्षण कर सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित कराया जाए. उन्होंने निर्देश दिए कि जिले में पटाखा निर्माण और भंडारण स्थलों की भी नियमित जांच की जाए. यदि कहीं सुरक्षा नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो संबंधित व्यक्ति का लाइसेंस तत्काल निलंबित किया जाए. कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि जनसुरक्षा से जुड़े मामलों में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाए.

रेरा चेयरमैन और अन्य रिक्त पदों की नियुक्ति के लिये उठाए कदम

- हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को दिये निर्देश, मांगी रिपोर्ट

जबलपुर. मप्र हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को निर्देशित किया है कि रियल एस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरण (रेरा) के चेयरमैन और अन्य रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए तत्काल कदम उठाएं.

चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने मुख्य सचिव को अगली सुनवाई तक रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही न्यायालय ने कहा कि ऐसा नहीं होने पर अगली सुनवाई के दौरान मुख्य सचिव को हाजिर होना पड़ेगा. अगली सुनवाई 23 जून को होगी.

यह मामला रेरा एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसिएशन भोपाल की ओर से दायर किया गया है. जिनकी ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अजय गुप्ता एवं राजीव मिश्रा ने पक्ष रखा.

उन्होंने बताया कि रेरा चेयरमैन 14 मार्च 2026 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं. ऐसे में न्यायाधिकरण प्रभावी ढंग से कार्य करने में असमर्थ है. इसके बावजूद, रियल एस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है. वहीं, राज्य शासन की ओर से दलील दी गई कि रेरा के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जानी है. जिसके बाद न्यायालय ने उक्त निर्देश दिये.

सहकारिता सशक्तिकरण है लक्ष्य

उज्जैन, 19 मई. जिले में मंगलवार को जिला सहकारी केंद्रीय बैंक सभाकक्ष में अपेक्स बैंक भोपाल के नवमनोनीत अध्यक्ष एवं प्रशासक महेन्द्र सिंह यादव की अध्यक्षता में उज्जैन संभाग के जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों की समीक्षा बैठक आयोजित हुई. बैठक में प्रबंध संचालक मनोज कुमार गुप्ता भी मौजूद रहे.

बैठक में वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच 'ईंधन बचाओ-ऊर्जा बचाओ' अभियान को बढ़ावा देने की अपील की गई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मोहन यादव के संदेश का उल्लेख करते हुए अधिकारियों-कर्मचारियों से ऊर्जा संरक्षण और 'वोकल फॉर लोकल' अभियान को मजबूत बनाने का आह्वान किया गया. साथ ही 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत पैक्स स्तर तक पौधारोपण लक्ष्य पूरे करने पर जोर दिया गया.

समीक्षा के दौरान सदस्यता महाभियान, ऋण वितरण, फसल ऋण वसूली और अमानत संग्रहण की प्रगति पर चर्चा हुई. उज्जैन जिला सहकारी बैंक द्वारा प्रदेश में सर्वाधिक लगभग 50 लाख रुपये अंशपूंजी जमा करने पर प्रशंसा व्यक्त की गई. वहीं देवास जिला बैंक को अल्पावधि फसल ऋण वसूली में सर्वश्रेष्ठ बताया गया.

बैठक में जिला बैंकों को टर्म लोन वितरण बढ़ाने, कासा अमानत संग्रहण पर ध्यान देने और गेहूं उपार्जन कार्य को सुचारू रखने के निर्देश दिए गए. अंत में शैलेन्द्र रावत ने आभार व्यक्त किया.

सिंध नदी स्टॉप डेम के गेट फिर खोले

शिवपुरी, 19 मई. शिवपुरी जिले की बदरवास तहसील क्षेत्र में सिंध नदी के सढ़बूढ़ घाट पर बने स्टॉप डेम के कई गेट बीती रात अज्ञात लोगों द्वारा खोल दिए गए. कुछ गेटों को क्षतिग्रस्त भी किया गया है. गेट खुलने के कारण सिंध नदी का पानी तेजी से मड़ीखेड़ा डैम की ओर बह रहा है. स्टॉप डैम तेजी से खाली हो रहा है जिससे किसानों में जल संकट की चिंता उत्पन्न हो गई है.

विंध्य में अवैध नशीले कफ सिरप तस्करी गिरोह का पर्दाफाश

- 11 लाख 88 हजार 918 रुपये का मशरूका जप्त

सीधी, 19 मई. कमर्जी थाना पुलिस ने ऑपरेशन 'प्रहार 2.0' के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए विंध्य क्षेत्र में सक्रिय अवैध नशीली कफ सिरप तस्करी गिरोह का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने 912 शीशी आनरेक्स कफ सिरप और बोलेरो वाहन सहित कुल 11 लाख 88 हजार 918 रुपये का मशरूका जब्त किया है.

पुलिस के अनुसार 18 मई को ग्राम बरिगवां क्षेत्र में जांच के दौरान मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक बोलेरो वाहन में भारी मात्रा में अवैध कफ सिरप सीधी की ओर ले जाया जा रहा है. सूचना के आधार पर अमल्लकपुर-कोलघाट मार्ग पर घेराबंदी की गई. इस दौरान कोलघाट रोड के पहाड़ी क्षेत्र में संदिग्ध बोलेरो लावारिस हालत में मिली. तलाशी में पांच बोरियों में रखी 912 शीशी आनरेक्स कफ सिरप बरामद हुई, जिसमें कोडीन फास्फेट पाया गया. पुलिस ने बताया कि जब्त कफ सिरप की कीमत करीब 1.83 लाख रुपये और बोलेरो वाहन की कीमत लगभग 10 लाख रुपये आंकी गई है. वाहन से आरोपी प्रीतम पटेल उर्फ सनी के दस्तावेज, बैंक कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और नकदी भी बरामद हुई है. प्रारंभिक जांच में सामने आया कि प्रीतम पटेल उर्फ सनी और अनिल पटेल उर्फ डीजे वाला रीवा क्षेत्र से अवैध मादक पदार्थ लाकर विंध्य क्षेत्र में तस्करी करते थे. पुलिस दबिश की आशंका पर आरोपी वाहन छोड़कर फरार हो गए. फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है.

नशीली कफ सिरप संग दो गिरफ्तार

सीधी, 19 मई. रामपुर नैकिन थाना पुलिस ने अवैध नशीले पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को नशीली कफ सिरप के साथ गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई ऑपरेशन प्रहार 2.0 के तहत की गई. पुलिस के अनुसार 17 मई 2026 को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम घूंघटा रोड क्षेत्र में कुछ लोग अवैध नशीली कफ सिरप छिपाकर रखे हुए हैं. सूचना के आधार पर थाना प्रभारी सुधांशु तिवारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने घेराबंदी कर कार्रवाई की. इस दौरान आरोपी मो. इसराइल और मो. एहसान पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करने लगे, लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया.

पत्रकारों से बातचीत | समिति के संरक्षक ने कहा, 'हर दिन पूजा का अधिकार'

भोजशाला में फैसले के बाद पहले मंगलवार को हवन-पूजन

धार, 19 मई. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद धार की भोजशाला में पहले मंगलवार को हवन-पूजा और महाआरती का आयोजन किया गया.

भोज उत्सव समिति के संरक्षक विश्वास पांडे ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि भोजशाला में सासाहिक सत्याग्रह और अनुष्ठानों से भक्तों को मां वाग्देवी की साल भर पूजा करने का अधिकार बहाल हुआ. विश्वास पांडे ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हम हर मंगलवार को अपने सत्याग्रह के पूर्ण होने की उम्मीद के साथ यहां आते थे. भोजशाला एक तरह से कैद थी, क्योंकि सिर्फ हर मंगलवार को पूजा का अधिकार था. हमारी मांग थी कि 365 दिन हमें पूजा का अधिकार मिले. इसीलिए हमलोग हर मंगलवार को यहां आकर मां के स्थान पर हवन-पूजन करते थे. भोजशाला में अब 365 दिन पूजा का अधिकार मिला है.

विश्वास पांडे ने आगे कहा कि दिल्ली से भी हमें अच्छी खबर मिल रही है कि मां की प्रतिमा को लंदन से लाने के लिए सारी तैयारियां की जा रही हैं. जल्द ही मां के उसी स्थान पर विराजित होने को लेकर हमें खुशी हो रही है. हमारा सत्याग्रह उसी दिन पूर्ण होगी.

मां वाग्देवी की भक्त गायत्री पुरोहित ने भोजशाला मामले पर उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया. पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि यह उत्सव हर एक सनातनी का है. इस उत्सव को लेकर सभी काफी खुशी हैं. मां वाग्देवी से हम सब की यही प्रार्थना थी कि जल्द आप कृपा करें. आज तक आपने हर संघर्ष से लड़ने की शक्ति दी है. अब हमको ममता दीजिए और यहां आकर विराजमान होइए.

721 साल बाद शुक्रवार को होगी महाआरती

भोजशाला परिसर में आगामी शुक्रवार 22 मई को महाआरती आयोजित किए जाने की तैयारी तेज हो गई है. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की नई गाइडलाइन और इंदौर उच्च न्यायालय के हालिया फैसले के बाद हिंदू समाज ने भोजशाला में पूजन-अर्चन और महाआरती करने की घोषणा की है. पत्रकार वार्ता में हिंदू नेता अशोक जैन ने कहा कि करीब 721 वर्षों बाद शुक्रवार के दिन हिंदू समाज को अधिकारपूर्वक भोजशाला में पूजा करने का अवसर मिलेगा.